उत्तरांचल शासन
सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग
संख्या–218/नौ–3/उ0/2001
देहरादून दिनांक 25.9.2001
अधिसूचना

इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 7 के उप नियम (2) और नियम 46 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 तथा उक्त रूल्स के अधीन परीक्षण तथा निरीक्षण के लिये शुल्क लगाने और सामान्यतया सरकारी विद्युत सुरक्षा निदेशालय की सेवाओं को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित आदेश देते हैं :–

उत्तरांचल परीक्षण तथा निरीक्षण के लिये फीस लगाने का आदेश, 2001

(इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 का नियम 7 और 46 देखिये)

1. (1) यह आदेश उत्तरांचल परीक्षण तथा निरीक्षण के लिये फीस लगाने का आदेश 2001 कहलायेगा।
2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

   (2) यह इस अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत होगा।

परिभाषायें 2–इस आदेश में प्रयुक्त पदों और पदावलियों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 और इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 में दिये गये हैं, सिवाय इसके इस आदेश के प्रयोजनार्थ :–

(क) ''स्वामी'' के अन्तर्गत किसी ऐसे भवन, स्थान, वाहन या जलयान (वेसेल) का, जिसमें ऊर्जा (एनर्जी) उत्पन्न प्राप्त या प्रयुक्त की जाती हो या की जाने वाली हो अध्यासी भी है :

(ख) किसी भी विद्युत अधिष्ठापन या उपकरण के निरीक्षण या जांच के अभिदेश से ''आरम्भिक'' का तात्पर्य ऐसे प्रथम निरीक्षण से होगा, जो उसे प्रयोग में लाये जाने के पूर्व या पश्चात या छः महीने या उससे अधिक की अवधि के लिये बिना सम्भरण के उसके पुनः संयोजन पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा किये जायें और इसके अन्तर्गत ऐसा प्रथम निरीक्षण, परीक्षण या जांच भी होगी जो किसी वर्तमान अधिष्ठापन में कोई विस्तार या परिवर्तन करने के कारण करना आवश्यक हो :

सिवाय उन निरीक्षण, परीक्षण या जांच के जो विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अनुदेशों के अधीन किसी दोषपूर्ण अधिष्ठापन में जिसका निरीक्षण उक्त निदेशालय द्वारा पहले ही किया जा चुका हो, सुधार करने के एक मात्र प्रयोजन से किया जाय :

(ग) किसी विद्युत अधिष्ठापन या उपकरण के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के अभिदेश में, ''नियतकालिक'' का तात्पर्य इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम–46 के अनुसरण में किये गये निरीक्षण या जांच से होगाः

(घ) किसी विद्युत अधिष्ठापन या उपकरण के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के अभिदेश में ''अनुवर्ती'' का तात्पर्य ऐसे निरीक्षण या परीक्षण से होगा, जो किसी अधिष्ठापन या उपकरण से सॅबन्ध में यह पाये जाने पर कि आरम्भिक या किसी भी अन्य निरीक्षण के दौरान इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 की संगत अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ है, करना आवश्यक हैः

(ड.) ''लाईसेन्सधारी'' के अन्तर्गत पावर कारपोरेशन लिमिटेड और ऐसा व्यक्ति भी होगा, जो इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन सरकार से स्वीकृति प्राप्त करके ऊर्जा सम्भरण करने के कारोबार में लगा हो।

शुल्क

3–समय–समय पर यथा संशोधित इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 और इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स. 1956 के अधीन रहते हुये परीक्षण और निरीक्षण (जिसमें नियत कालिक निरीक्षण भी सम्मिलित है) के लिये और सामान्यतः विद्युत सुरक्षा निदेशालय की सेवाओं के लिये निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये शुल्क लगाया जायगा तथा अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्तियों से और मानक्रमों के अनुसार ''वसूल किया'' जायेगा।

(1) मानक्रम ''क'' से ''घ'' में निर्दिष्ट किसी भी निरीक्षण, परीक्षण या जांच की स्थिति में, किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती निरीक्षण, परीक्षण या जांच होने के लिए जो इसी प्रकार के निरीक्षण या जांच होने के , जिसके लिये नियत शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो, बारह मास की अवधि के भीतर की जाये कोई भी शुल्क तब तक नहीं लगाया जायेगा जब तक कि इसी प्रकार का और निरीक्षण, परीक्षण या जांच आवेदन–पत्र देने पर या इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के नियम 46 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित नियतकालिकता (पीरियाडिसिटी) के अनुसरण में न की जाय या अधिष्ठापन में कोई विस्तार या परिवर्तन करने के

फलस्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो, न हो या विद्युत सुरक्षा निदेशालय की राय में, जो अभिलिखित की जायेगी, ऐक्ट या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने के कारण या लाइसेंसधारी या स्वामी द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय के किसी लिखित आदेश को नियत समय के भीतर पालन करने में उपेक्षा या चूक करने के कारण आवश्यक न हो।

(2) किसी अधिष्ठापन के अनुवर्ती निरीक्षण या परीक्षण के लिये यह आरम्भिक या किसी भी अन्य निरीक्षण के दौरान त्रुटियों का पता चलने के फलस्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो, शुल्क मानक्रम ''क'' से ''ड'' के अधीन विहित शुल्क के बराबर होगा।

(3) मानक्रम ''ग'' से ''ट'' में विनिर्दिष्ट किसी निरीक्षण, परीक्षण या जांच की स्थिति में, किसी निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिये कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा जब तक कि :—

(एक) ऐसा निरीक्षण, परीक्षण या जांच प्रार्थना—पत्र देने पर, या इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के नियम 46 के अधीन नियतकालिक निरीक्षण करने के लिये न किया जाये, या

(दो) विद्युत सुरक्षा निदेशालय का यह समाधान न हो जाये, जो अपना समाधान होने के कारणों को अभिलिखित करेगा कि निरीक्षित, परीक्षित या जांचा गया अधिष्ठापन या उपकरण ऐक्ट या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है और उस स्थिति में आरम्भिक और अनुवर्ती निरीक्षण के लिये शुल्क लगाये जायेंगें।

(तीन) अनुवर्ती निरीक्षण और परीक्षण, यदि आरम्भिक या नियतकालिक निरीक्षण के दौरान त्रुटियों का पता चलने के फलस्वरूप ऐसा करना आवश्यक हो के लिए मानक्रम ''घ'' से ''ड'' के सम्बन्ध में इन मानक्रमों में विहित पूरी फीस।

4—(1) इस आदेश के अधीन देय शुल्कों का भुगतान अग्रिम रूप से सरकारी कोषागार में निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अधीन किया जायेगा

शुल्क का भुगतान

(क) शीर्षक—0043—विद्युतकर तथा शुल्क —

102—भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस के अधीन मानक्रम ''ग'' एवं ''ण'' से भिन्न मानक्रमों के लिये

(ख) शीर्षक–0043–विद्युत कर तथा शुल्क –

103–सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिये फीस के अधीन मानक्रम ''ण'' के लिए

(ग) शीर्षक–0043–विद्युत कर तथा शुल्क –

800–अन्य प्राप्तियों के अधीन मानक्रम ''ड'' के लिए

(2) फीस का भुगतान राज्य सरकार के गैर–वाणिज्यिक विभागों को छोडकर, जहाँ अन्यथा व्यवस्था की गयी हो उसके सिवाय अधिष्ठापन के स्वामी द्वारा किया जायेगा।

(3) यदि किसी उपभोक्ता या सम्भरणकर्ता के अनुरोध पर किसी विद्युत अधिष्ठापन या उपकरण का निरीक्षण, परीक्षण या जांच करने के लिये यात्रा की जाये और यदि निरीक्षण अधिकारी के पहुंचने पर कोई भी अध्ष्ठिापन के उपकरण न मिले तो भी विहित फीस ली जायेगी।

अनुसूची

मानक्रम ''क''

सिवाय उन मामलों में जिनके सम्बन्ध में मानक्रम ''ख'' से ''ड'' विशिष्ट रूप से लागू होते हैं किसी विद्युत अधिष्ठापन या उपकरण जिसे ऊर्जा मध्यम या उच्च दबाव पर सम्भरित की जाती हो या की जाने वाली हो के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए–

अधिष्ठापनों आदि का संयोजित भार (कनेक्टेड लोड)	आरम्भिक या नियतकालिक निरीक्षण के लिए फीस
1	2
10 किलोवाट तक और इसे सम्मिलित करके	135 रूपया
10 किलोवाट से अधिक किन्तु 20 किलोवाट से अनधिक	225 रूपया
20 किलोवाट से अधिक किन्तु 50 किलोवाट से अनधिक	450 रूपया
50 किलोवाट से अधिक किन्तु 100 किलोवाट से अनधिक	675 रूपया

100 किलोवाट से अधिक किन्तु 500 किलोवाट से अनधिक	675 रूपया तथा 100 किलोवाट से अधिक प्रत्येक 20 किलोवाट या उसके भाग के लिए 135 रूपया अतिरिक्त।
500 किलोवाट से अधिक किन्तु 1000 किलोवाट से अनधिक	3375 रूपया तथा 500 किलोवाट से अधिक प्रत्येक 50 किलोवाट या उसके भाग के 270 रू0 अतिरिक्त
1000 किलोवाट से अधिक	6750 रूपया

मानक्रम ''ख''

प्रत्येक जनित्र (जनरेटर) जिसमें 100 वोल्ट या इससे अधिक के दबाव पर ऊर्जा उत्पन्न की जाती हो, या की जाने वाली हो, के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए :–

अधिष्ठान जनरेटिंग सेट का किलो वोल्ट एम्पियर	आरम्भिक या नियतकालिक निरीक्षण के लिये फीस
25 किलो वोल्ट एम्पियर तक और इसे सम्मिलित करके	रू0 375.00
25 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 50 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 900.00
50 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 100 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 1350.00
100 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 250 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 1800.00
250 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 500 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 2700.00
500 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 750 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 3375.00
750 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 1000 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 4500.00
1000 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक	रू0 6750.00

मानक्रम ''ग''

एक–प्रत्येक ट्रान्सफार्मर या प्रत्येक रिसीविंग स्टेशन जहां जिस वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त की जाती है उसी वोल्टेज पर वितरित की जाती है या अन्य स्थान जहां 100 वोल्ट या इससे अधिक के दबाव पर ऊर्जा वितरित की जाती है या की जाने वाली हो, के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए :–

प्रत्येक ट्रान्सफार्मर या रिसीविंग स्टेशन का किलो वोल्ट एम्पियर (के0वी0ए0)	आरम्भिक या नियतकालिक निरीक्षण के लिये फीस
50 किलो वोल्ट एम्पियर तक और इसे सम्मिलित करके	रू0 450.00
50 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 100 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 750.00
100 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 200 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 1050.00
200 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 400 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 1500.00
400 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 700 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 2250.00
700 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 1000 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 3000.00
1000 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक किन्तु 3000 किलो वोल्ट एम्पियर से अनधिक	रू0 4500.00
3000 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक	रू0 6000.00

दो–किसी भी उच्च वोल्टेज ज्योतिष्मान चिन्ह अधिष्ठापन (हाई वोल्टेज ल्यूमिनस साइन इन्सटालेशन) के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए :–

धारिता कैपेसिटी	आरम्भिक या नियतकालिक निरीक्षण के लिये फीस
एक किलो वोल्ट एम्पियर (के0वी0ए0) तक और इसे सम्मिलित करके	रू0 225.00
एक किलो वोल्ट एम्पियर (के0वी0ए0) से अधिक	रू0 375.00

(तीन) एक्स–रे या इसी प्रकार की उच्च आवृति सज्जा (हाई फ्रीक्वेन्सी इक्यूपमेन्ट) के, जिसे ऊर्जा सम्भारित की जाती हो या की जाने वाली हो, निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिऐ

रू0 225.00

मानक्रम ''घ''

किसी भी विद्युत कर्षण प्रणाली (इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम) ट्राली तार, उपरिशीर्ष सज्जा (ओवरहेड, इक्यूपमेन्ट) के निरीक्षण या परीक्षण या बंधन (बाइन्डिग) या बिजली का क्षरण (करन्ट लीकेज) की जांच के लिए 8 घंटे के दिन के हिसाब से प्रति दिन 1125 रूपया किन्तु 2250 रू0 से कम न हो।

मानक्रम ''ड.''

विद्युत ऊर्जा द्वारा चालित ''लिफ्ट'' निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए। रू0 450.00

मानक्रम ''च''

निम्न दबाव (लो प्रेशर) अधिष्ठापन के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए :–

(एक)– 1 किलोवाट (के0 डब्लू) संयोजित भार (कनेक्टेड लोड) तथा इसे सम्मिलित करके रू0 75.00

(दो) प्रत्येक 1 किलोवाट या उसके भाग के अतिरिक्त संयोजित भार के लिए रू0 18.00 अतिरिक्त

मानक्रम ''छ''

(एक) निम्नलिखित के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए

(क) उच्च दबाव की उपरिशीर्ष लाइन (हाई प्रेशर ओवर हेड लाइन) या केबिल के लिए 10 किलो मीटर की दूरी तक रू0 900 का न्यूनतम प्रभार तथा 10 किलो मीटर की दूरी से अधिक प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए रू0 45 अतिरिक्त

(ख) मध्यम का निम्न दबाव की उपरिशीर्ष लाइन या केबिल के लिए 1 किलोमीटर तक न्यूनतम प्रभार रू0 150 तथा 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक प्रति किलोमीटर या उसके भाग के लिए रू0 45।

(दो) फीस का भुगतान, यथास्थिति लाइसेन्सधारी या उसके स्वामी द्वारा किया जाएगा।

मानक्रम ''ज''

(एक) निम्नलिखित के निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए फीस :–

(क) उच्च दबाव के सर्विस कनेक्शन (संयोजन) के लिए	रू0 450.00
(ख) मध्यम दबाव के सर्विस कनेक्शन के लिए	रू0 150.00
(ग) निम्न दबाव के सर्विस कनेक्शन के लिए	रू0 75.00

(दो) फीस का भुगतान लाइसेन्सधारी या ऊर्जा संभरण करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

मानक्रम ''झ''

किसे तडित संरक्षी (लाइटनिंग प्रोटेक्टिव सिस्टम) के निरीक्षण या जांच के लिए–

प्रति बात अवसान (एयर टरमिनेशन)	रू0 225.00

मानक्रम ''ञ''

(एक) इण्यिन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 52 के उप नियम (1) के

अनुसरण में किसी अधिष्ठापन की जांच के लिए रू0 300.00

(दो) उपभोक्ता के अनुरोध पर किए गये किसी भी निरीक्षण और जांच का व्यय, जब तक कि इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 53 के उप नियम (2) के अधीन अन्यथा निदेशन न दिया जाए, उपभोक्ता वहन करेगा।

मानक्रम ''ट''

इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 82 के उप नियम (3) के अधीन निरीक्षण करने और या प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए रू0 375.00 अवधेय फीस का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो या तो कोई नया भवन या संरचना निर्मित या किसी भवन या संरचना में या उस पर किसी अस्थाई परिवर्द्धन या परिवर्तन करने का प्रस्ताव करे और जिसके फलस्वरूप ऐसे निर्माण के दौरान या उसके प्श्चात् इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के लियम 77, 79 या 80 के उपबन्धों का उल्लंघन हो।

मानक्रम ''ठ''

(एक) विभिन्न लाइसेन्सधारियों या स्वामियों की ऐसी उपरिशीर्ष लाइनों के निरीक्षण या परीक्षण के लिए जो एक दूसरे के निकट पहुंचती हो (एप्रोचिंग या) एक दूसरे को लांघती हो (क्रासिंग) या किन्हीं भी उपरिशीर्ष लाइनों के निरीक्षण या परीक्षण के लिए, जो टेलीफोन के टेलीग्राफ या ट्रामवे, ट्राली के तारों के निकट पहुंचती हो या उन्हें लांघती हो :–

प्रत्येक बार निकट पहुंचने या लांघने (एप्रोचिंग और क्रासिंग) के लिए रू0 150.00

(दो) फीस का भुगतान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसकी लाइन बाद में स्थापित की गई हो।

मानक्रम ''ड''

इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 26 की उप धारा (6) तथा (7) के अधीन मीटरों और अन्य उपकरण की परिशुद्धता (एक्युरेसी) की जांच करने और उसके सम्बन्ध में निर्णय देने के लिए –

(क) किसी भी प्रकार (डिस्क्रिप्शन) के एकल मीटर या अन्य उपकरण की प्रयोगशाला में जांच के लिए–

(एक) 50 एम्पियर की धारिता तक आर इसे सम्मिलित करके–

निम्न दबाव	रू0 250.00
मध्यम दबाव	रू0 750.00
उच्च दबाव	रू0 1000.00

(दो) 50 एम्पियर से अधिक किन्तु 200 एम्पियर से अनधिक धारिता के लिए –

निम्न दबाव	रू0 500.00
मध्यम दबाव	रू0 1250.00
उच्च दबाव	रू0 1500.00

(तीन) 200 एम्पियर से अधिक धारिता के लिए –

मध्यम दबाव	रू0 1500.00
उच्च दबाव	रू0 2500.00

टिप्पणी :–

1. लाइसेन्सधारी या उपभोक्ता, निदेशालय की प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) में विवादाग्रस्त मीटर अपने व्यय पर देगा और उसे वहां से वापस लेगा।
2. लाइसेन्सधारी या उपभोक्ता को, जो स्थल पर मीटर के निरीक्षण की अपेक्षा करे, निरीक्षण अधिकारी के यात्रा भत्ते का अग्रिम भुगतान करना होगा।
3. केवल ऐसे ही मीटरों की जांच की जायेगी जिनके लिए इस निदेशालय में सुविधाएं उपलब्ध होगी। अन्य मामलों में, जिनमें अन्यत्र प्रबन्ध सम्भव हो, विहित फीस के अतिरिक्त वास्तविक व्ययों का भार वहन करना होगा।

फीस का अग्रिम भुगतान मामला अभिविष्ट करने वाले पक्ष द्वारा किया जाएगा, किन्तु इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के नियम 8 के अधीन निदेशक, विद्युत सुरक्षा यह निर्णय करेगा कि उक्त शुल्क यात्रा भत्ता तथा मीटर देने और वापस लेने में उपगत व्यय जिसके द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी :–

1. मानक्रम ''ड'' के खण्ड (एक) के प्रयोजन के लिए मीटरों तथा अन्य उपकरण की धारिता अवधारित करने में वही धारिताएं मानी जाएंगी जो शंट्स या विद्युत ट्रांसफार्मरों (करेन्ट ट्रांसफार्मर) जहां कहीं भी मीटरों या अन्य उपकरणों के साथ इनका प्रयोग किया जाता हो कि प्राइमरी साइड्स की हो।
2. जहां निदेशक, विद्युत सुरक्षा से निम्नलिखित के अधीन उत्पन्न किसी विवाद का निपटारा करने के लिए कहा जाए :–

ऐक्ट की धारा –21 की उपधारा (4) या	वहां नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अधीन रहते हुए प्रति निर्णय रू0 1500.00
ऐक्ट की धारा –26 की उपधारा (4) या (6) या	
ऐक्ट की अनुसूची के खण्ड 6 (3) या	
इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के नियम 82 के उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड	

टिप्पणी –1 फीस की अग्रिम भुगतान विवाद अभिदिष्ट करने वाले पक्ष द्वारा किया जाएगा, परन्तु अन्ततः वह, उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा जिसके विरूद्ध निर्णय दिया जाएगा।

टिप्पणी –2 उपर्युक्त फीस इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रत्येक सुनवाई और/या प्रत्येक निरीक्षण के लिए/लिया जाएगा।

मानक्रम ''ढ''

इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के उप नियम 65 के अनुसार निदेशालय की प्रयोगशाला में किसी भी विद्युत उपकरण को उच्च वोल्टेज की जांच के लिए

उपकरण की धारिता	6.6 के0वी0 तक सामान्य कार्य पालन वोल्टेज के लिए फीस
100 किलोवाट (के0 डबलू0) तक और इसे सम्मिलित	रू0 300.00

करके	
100 किलोवाट से अधिक किन्तु 500 किलोवाट से अनधिक	रू0 450.00
500 किलोवाट से अधिक किन्तु 1000 किलोवाट से अनधिक	रू0 600.00
1000 किलोवाट से अधिक	रू0 750.00

उपकरण के स्वामी को जो अपने भू–गृहादि पर जांच कराना चाहता हो, यदि ऐसा करना सम्भव हो, जांच करने के लिए आवश्यक साज–समान के लाने–ले जाने का प्रबन्ध करना होगा और उसका व्यय देना होगा और निरीक्षण अधिकारी के यात्रा–भत्ता का व्यय अग्रिम रूप से देना होगा।

मानक्रम ''ण''

सिनेमा गृहों के विद्युत अधिष्ठापनों की निरीक्षण फीस :–

(क) स्थायी सिनेमा–गृहों के विद्युत अधिष्ठापनों की निरीक्षण फीस

(एक) प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए	रू0 900.00
(दो) वार्षिक निरीक्षण के लिए	रू0 600.00
(तीन) किसी अनुवर्ती निरीक्षण के लिए	रू0 300.00

(ख) भ्रमणशील सिनेमा–गृहों के विद्युत अधिष्ठापनों की निरीक्षण फीस

(एक) प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए	रू0 450.00
(दो) किसी अनुवर्ती निरीक्षण के लिए	रू0 225.00

आज्ञा से,

केशव देसिराजु

सचिव।

संख्या (1)/नौ–3–उ0/2001, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी की इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डा0 एम0सी0 जोशी)

संयुक्त सचिव

संख्या 218 (1)/नौ–3–उ0/2001, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, केन्द्रीय बिजली बोर्ड, सेवा भवन, आर0के0पुरम्, नई दिल्ली।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
7. विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल शासन हल्द्वानी, नैनीताल।

आज्ञा से

(डा0 एम0सी0 जोशी)
संयुक्त सचिव